भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 781
07.02.2022 को उत्तर के लिए

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

781. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी विनियमों के संबंध में उपाय किए हैं, क्योंकि ये विनियम, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण के संबंध में भी अवरोध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या भारत में औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्र सहित एफएमसीजी कंपनी न केवल चिप्स के एक पैकेट को बनाने, पैक करने और वितरित करने की लागत को शामिल करेगी, बल्कि उस पैकेट के संग्रहण और पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग की लागत को भी शामिल करेगी?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में, अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या कचरा बीनने वालों तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भूमिका के संबंध में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समय-समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संबंध में प्रारूप विनियमों को, जन परामर्श के लिए दिनांक 06 अक्तूबर, 2021 के सा.का.नि. सं. 722(ई) के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। इस प्रारूप अधिसूचना के अनुसार उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं और उपयोग समाप्ति तिथि पर निपटान करने वाली इकाइयों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के संबंध में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराकर अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बाध्यताओं को पूरा करना अधिदेशित किया गया है। उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के लिए पंजीकरण कराना भी अनिवार्य किया गया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का विकास सुगम हो जाएगा और अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्र, इस कार्य में संलग्न हो जाएगा। इस प्रारूप अधिसूचना में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर की प्रवर्तनीय बाध्यता, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की वृत्तीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

****